संख्या-449/2018/3007/22-2-2017-17(387)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 मई, 2018***

विषय:- जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकेवल तिवारी पुत्र श्री इन्दल तिवारी निवासी जनपद-फैजाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-41406/प्रोबे-5-दयायाचिका/761 दिनांक 16.11.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकेवल तिवारी पुत्र श्री इन्दल तिवारी, जो-ग्राम-पाठक का पुरवा, मौजा-गुरौली, थाना-इनायत नगर, जनपद-फैजाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा ग्राम प्रधानी की रंजिश को लेकर दिनांक 14.09.1991 को 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बल्लम,फरसा एवं तमंचा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या तथा 03 अन्य को घायल कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-395/1993 में भा0द0वि0 की धारा- 147, 148, 302/149, 307/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-4, फैजाबाद के आदेश दिनांक 30.06.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.03.2016 तक 07 वर्ष 08 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 वर्ष 01 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा,कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी आख्यां के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामकेवल तिवारी (बन्दी संख्या-4461/09) पुत्र श्री इन्दल तिवारी निवासी जनपद-फैजाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-449/2018/3007(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, फैजाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in